



2026:AHC:124888

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या- 19173 वर्ष 2026

मनीष कुमार अहिरवार

.....आवेदक(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष(ओं)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता : राकेश पति तिवारी, सुशील कुमार मिश्रा

विपक्षी पक्ष(ओं) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या- 5

माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा

- हमने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री राकेश पति तिवारी और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. श्री पुष्कर श्रीवास्तव की दलीलें सुनीं और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
- यह जमानत याचिका मामले की सुनवाई के दौरान आवेदक को धारा 103(1), 75, 76 बीएनएस, पुलिस स्टेशन ईटी, जिला जालौन के तहत केस क्राइम नंबर 16/2025 में जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है जिसमें आरोप लगाया गया है कि एक लड़की का शव मिला था और उसके साथ कई व्यक्तियों द्वारा बलात्कार किया गया था और बाद में उसकी हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि जांच के दौरान एक टेम्पो चालक के बयान में आवेदक का नाम सामने आया है, जिसने कहा कि उसने आवेदक को मृतक के साथ आखिरी बार देखा था। आगे यह भी निवेदन किया जाता है कि अंतिम बार देखे जाने के साक्ष्य के अलावा, आवेदक के विरुद्ध कोई अन्य साक्ष्य नहीं है और मृतक की मृत्यु का कारण दम घुटना पाया गया है तथा चिकित्सक द्वारा बलात्कार का कोई संकेत नहीं मिला है, अतः बलात्कार का

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आरोप झूठा है। इसके अलावा यह भी निवेदन किया जाता है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 01.2.2025 से जेल में बंद है। यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि अंतिम बार देखे गए साक्ष्य के अलावा, आवेदक के कब्जे से एक देसी पिस्तौल भी बरामद की गई है।

5. अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है जिसमें आरोप लगाया गया है कि एक लड़की का शव मिला है और कई व्यक्तियों द्वारा उसके साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। जांच के दौरान यह बात सामने आई है कि आवेदक को आखिरी बार मृतक के साथ देखा गया था और उसके पास से एक देसी पिस्तौल भी बरामद हुई है, जैसा कि विद्वान एजीए ने बताया है। हालांकि, मृत लड़की की मौत का कारण दम घुटना पाया गया है और उसके शरीर पर गोली लगने का कोई निशान नहीं मिला है। अंतिम बार देखे जाने के सबूत के अलावा, आवेदक के खिलाफ कोई अन्य सबूत नहीं है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, हालांकि, वर्तमान मामले के साथ शस्त्र अधिनियम के तहत एक मामला दर्ज किया गया है।

6. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों, अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता, जेलों में अत्यधिक भीड़ और निचली अदालतों में आपराधिक मामलों के भारी लंबित होने, साथ ही **कपिल वधावन बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो** (2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038) मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और **माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** (2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 6765) मामले में इस न्यायालय के जमानत देने संबंधी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, और मामले की गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा मानना है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

7. तदनुसार, यह आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. उपर्युक्त अपराध में अभियोक्ता **मनीष कुमार अहिरवार** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप व्यक्तिगत मुचलका और समान राशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(ii) आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए मुकदमे/जांच में ईमानदारी से सहयोग करेगा।

(iii) आवेदक जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा या कोई अपराध नहीं करेगा।

(iv) आवेदक अपने द्वारा निष्पादित बांड की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा।

9. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर जमानत रद्द करने का आधार होगा।

10. जमानत स्वीकार किए जाने से पहले आवेदक और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाएगा। आवेदक और जमानतदारों के मोबाइल नंबर और आधार कार्ड का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए।

11. यह भी निर्देश दिया जाता है कि ट्रायल कोर्ट जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजे ताकि आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित हो सके।

12. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, **पॉलिसी स्ट्रैटेजी फॉर ग्रांट ऑफ बेल, इन री: सुओ मोटू रिट पिटीशन (क्रिमिनल) नंबर 4 ऑफ 2021 दिनांक 31.01.2023 (2024) 10 एससीसी 685** में प्रकाशित आदेश के अनुसार, कार्यालय को **संबंधित जेल अधीक्षक** के माध्यम से ई-मेल या ई-जेल पोर्टल के जरिए आवेदक को इस आदेश की एक प्रति 24 घंटे के भीतर भेजने का निर्देश दिया जाता है।

(न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा)

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3 जून, 2026

मधुरिमा

Translated version . Not for legal use.

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।